<u>न्यायालय :: सत्र न्यायाधीश, एटा</u>

उपस्थितः राकेश धर दुबे, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02008

<u>दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–316/2026</u>

(CNR No.- UPET010029512026)

मोहित आदि बनाम श्रीमती लक्ष्मी।

<u>25.07.2026</u>

पत्रावली प्रार्थनापत्र 5ब अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदकगण की ओर से प्रार्थना–पत्र 5ब, अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर याचना की गयी कि आवेदकगण उपरोक्त अपील मे अपीलाण्ट है, आवेदकगण ने अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 17–02–2026 के खिलाफ अपील योजित की है जिसके स्वीकार होने की पूरी अशा है। आवेदकगण को कानून की जानकारी नही है। आवेदकगण जब अपने अधिवक्ता महोदय से मिले तो उन्होने बताया कि अपील करनी होगी तब प्रार्थीगण वमुश्किल दिनांक 23–03–2026 को पैसे का इंतजाम करके लाये और आदेश दिनांक 17–02–2026 की नकल लेने हेतु सवाल डलवाया आदेश की नकल दिनांक 06–04–2026 को प्राप्त हुयी तब आवेदकगण को आदेश की पूरी जानकारी हुयी तब आवेदकगण अधिवक्ता से अपील तैयार कराकर प्रस्तुत कर रहे है। आवेदकगण को कानूनी जानकारी नही है आवेदकगण ने जानबूझकर कोई देरी गलती अपील प्रस्तुत करने में नही की है जो देरी गलती हुयी है नाजानकारी एवं खर्धमुकददमा का समय से इंतजाम न होने की वजह से हुयी है आवेदकगण क्षमा प्रार्थी है। यदि अपील देरी से समझी जावे तो प्रार्थीगण को धारा 5 म्याद अधिनियम का लाभ प्रदान करन की कृपा करें।

आवेदक ने अपने कथन के समर्थन में शपथपत्र 6ब प्रस्तुत किया है।

विपक्षीगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विधि–व्यवस्थाओं के दृष्टिगत आवेदक का प्रार्थना–पत्र 5ब, अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम न्याय हित में स्वीकार किया जाता है। आवेदक द्वारा दाण्डिक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

पत्रावली को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया।

दाण्डिक अपील अंगीकृत कर पंजीकृत की जाये।

विपक्षीगण को उभयप्रकार से नोटिस जारी किया जाये। उभय प्रकार से पैरवी एक सप्ताह के अन्दर की जाये।

अवर न्यायालय की पत्रावली तलब की जाये।

सुनवाई हेतु दिनांक 05.08.2026 को पेश हो।

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश, एटा।
25.07.2026